

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी मुख्यालय— हल्द्वानी

वर्ग-4 (सहयोगी/गार्ड) के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति

निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अपने आदेश पत्रांक 2236-45/वर्ग-4 सीधी भर्ती/ धारा 122 /2015-16 दिनांक 21.01.2016 द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 1889(SS)/2015 मनोज कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा० न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.12.2015 के द्वारा स्वयं अपने आदेश पत्रांक— सी 299/अधिसंकाठ/डी०सी०बी०-वर्ग-4/नियुक्ति/2013-14 दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को निरस्त किया गया है एवं निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 की धारा 122 की उपधारा (3) में निबन्धक को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी बैंकों, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी व संस्थागत सहकारी सेवा मण्डल के अधीन वर्गीकृत सहकारी समितियों में वर्ग-04 (सहयोगी/गार्ड) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन समिति/चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप बैंक की वेबसाईट www.ukstcbank.com से प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी में वर्ग-4 (सहयोगी/गार्ड) के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। यह रिक्तियां अस्थाई हैं, किन्तु उनके चलते रहने की सम्भावना है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। अपरिहार्य स्थिति में बैंक को रिक्तियां निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जाये।

सहयोगी/गार्ड (वर्ग-4) वेतनमान रु० 9560-325-10860-410-12910-490-14870-570-16580-655-18545

पदोंकी संख्या	आरक्षण श्रेणीवार								आरक्षण में क्षैतिज आरक्षण						
	सामान्य		अनु० जाति 19%		अनु० जाति 4%		अन्य पिछड़ा वर्ग 14%		महिला सामान्य 30%	महिला अनु०ज जाति 30 %	महिला अनु०जन जाति 30%	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 30%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन-कारी 10%	अन्य (विकलांग, भूपूर्णैनिक, ख.सं.सेनानी 3%, 2%, 2%	योग
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला							
15	कुल 09	कुल 03	कुल 01	कुल 02	3	1	—	1	**	शून्य	15				

** उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी का माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित याचिका के पश्चात कार्यवाही होगी।

अर्हतायें:-

1—**आयु—** अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन की तिथि 01.10.2016 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। शासकीय, सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी परियोजनाओं में कार्यरत या छटनीशुदा कार्मिकों को उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के बराबर किन्तु अधिकतम 05 वर्ष आयु में छूट अनुमन्य होगी।

2—**शैक्षिक योग्यता—** अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3—**आवेदन शुल्क—** सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 150रु० तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 75रु० का परीक्षा शुल्क, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा राज्य के उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी मुख्यालय— हल्द्वानी के पक्ष में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न किया जायेगा। शुल्क वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा यह छूट उसी दशा में अनुमन्य होगी यदि अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो कि वह बी०पी०एल० में वर्गीकृत है। (बी.पी.एल. कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी)

3—**आरक्षण—** उत्तराखण्ड राज्य की अधिसूचना सं० 1144/कार्मिक-2-2001-53(1) दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर जनहित याचिका सं० 67 (PIL)/2011 में पारित अन्तर्रिम आदेश दिनांक 26-08-2013 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों हेतु 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर भर्ती फिलहाल स्थगित रहेगी तथा याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

4—**चयन प्रक्रिया—** सामान्यतः साक्षात्कार एवं शारीरिक स्वस्थ्यता के आधार पर चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा। वर्ग-4 के पदों पर चयन हेतु कुल 50 अंक निर्धारित होंगे। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा—

(क) हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त प्रथम श्रेणी अथवा 'ए' ग्रेड हेतु 15 अंक, द्वितीय श्रेणी अथवा 'बी' ग्रेड हेतु 13 अंक तथा तृतीय श्रेणी अथवा 'सी' व उससे निम्न उत्तीर्ण ग्रेड हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे।

(नोट:- ग्रेड-ए में सभी प्रकार की ए-ग्रेडिंग, ग्रेड-बी में सभी प्रकार की बी-ग्रेडिंग तथा ग्रेड-सी व उससे निम्न में सभी प्रकार की सी-ग्रेडिंग व उससे निम्न जो ग्रेडिंग हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण के लिए निर्धारित हो)

(ख) उत्तराखण्ड के मूल निवासी हेतु 5 अंक होंगे।

- (ग) सहकारी संस्थाओं/सहकारी परियोजनाओं/सहकारिता विभाग में अनुभव हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक अनुभव वर्ष के लिए 02 अंक)
- (घ) विशेष उपलब्धियां यथा जिला/राज्य स्तर खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता अथवा एन०सी०सी० का 'बी' सर्टिफिकेट हेतु 05 अंक।
- (ङ) कम्प्यूटर टाईपिंग (हिन्दी) का सामान्य ज्ञान हेतु 05 अंक।
- (च) साक्षात्कार के 10 अंक।

आवेदन पत्रों का प्रेषण :-

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
2. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रति सहित दिनांक 24.10.2016 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी मुख्यालय बरेली रोड तल्ली हल्द्वानी जिला—नैनीताल पिन—263139 के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। साधारण डाक/कॉरियर अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग का हो तो आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे पर आरक्षित वर्ग का विवरण मोटे अक्षर से अंकित किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर राज पत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो, जो हाल ही में खींचा गया हो, जिसमें उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित हो, चस्पा करेंगे।
5. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 9 X 4 साईज का एक खाली लिफाफा पर अपने पत्र व्यवहार का सही पता लिखकर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चस्पा कर संलग्न करेंगे। (लिफाफे पर डाक टिकट चस्पा करना अनिवार्य है)

अन्य-

- 1— अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- 2— ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पन्तियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, अपात्र माने जायेंगे।
- 3— अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हो, नियुक्ति हेतु अपात्र माने जायेंगे।
- 4— केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्थानीय निकाय अथवा निगम से सेवाच्युत अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- 5— अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 6— अभ्यर्थी द्वारा चयन के लिए किसी भी प्रकार के प्रभाव को उसकी अयोग्यता समझा जायेगा।
- 7—आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक होंगी –

- अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
- अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जो विज्ञापन आवेदन की अन्तिम तिथि को वैध (Valid) होना चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता और अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा)
- आवेदन शुल्क में छूट के लिए बी०पी०एल० प्रमाण पत्र।
- सहकारी संस्थाओं/परियोजनाओं में कार्यरत या छटनीशुदा कर्मचारी होने संबंधी प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
- अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन एवं बिना प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी मुख्यालय – हल्द्वानी

(वर्ग–4 (सहयोगी/गाड़ी) के सीधी भर्ता हेतु आवेदन–पत्र)

1— अभ्यर्थी का पूरा नाम :—

(i) हिन्दी में —

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2— अभ्यर्थी के पिता का नाम :—

(i) हिन्दी में पिता का व्यवसाय.....

(ii) अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3— अभ्यर्थी के माता का नाम :—

(i) हिन्दी में

(ii) अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर)

4— अभ्यर्थी की जन्मतिथि :—

(i) अंकों में

--	--

--	--

--	--	--	--

(ii) शब्दों में

5— विज्ञापन की तिथि को :—01.10.2016 को आयु वर्ष

--	--

--	--

--	--

6— अभ्यर्थी का स्थाई पता—

(i) ग्राम/ मोहल्ला

(ii) पो०आ०..... तहसील (iii) जनपद

(iv) फोन/मोबाइल नं०

7— पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता –

(i) ग्राम/ मोहल्ला

(ii) पो०आ०..... तहसील (iii) जनपद

(iv) फोन/मोबाइल नं०

8— क्या आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं ?

9— यदि आप आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं, तो उस श्रेणी का उल्लेख करें एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें ।
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) –

फोटो

राजपत्रित
अधिकारी से
प्रमाणित

10— यदि आप क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आते हैं, तो उस (केवल एक) पर सही (V) का निशान लगायें तथा अन्य को काट दें।

(महिला / भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / विकलांग / उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी / कुशल खिलाड़ी)

11— क्या आप अविवाहित हैं?

12— ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम, व्यवसाय एवं पूरा पता जो आपके संबंधी न हों और आपके स्कूल / कालेज से संबंधित न हों परन्तु आपके वैयक्तिक जीवन से भली—भांति परिचित हों —

1— नाम 2— नाम

पूरा पता पूरा पता

मोबाईल नं० मोबाईल नं०

13—शैक्षिक योग्यता का विवरण तथा राज पत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों के साथ—

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विद्यालय	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	हाईस्कूल						
2							
3							

14— कार्य अनुभव — (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

(i) संस्था का नाम जिसमें कार्य किया गया है।

(ii) अनुभव अवधि वर्ष माह

(iii) कार्य का प्रकार

15— किसी भी सेवा में पहले से नियुक्त अभ्यर्थी को अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16— क्या किसी माननीय न्यायालय द्वारा आपको कभी दण्ड मिला है। यदि हां तो वह दण्ड क्या था और किन परिस्थितियों में मिला .. .

17—उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण (प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

1— सेवायोजन कार्यालय का नाम

2—पंजीकरण संख्या 3— दिनांक

4— पंजीकरण की वैद्यता तिथि

18— विज्ञप्ति में वर्णित प्रमाण पत्रों का विवरण जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है:-

1— 2— 3—

4— 5— 6—

19— आवेदन शुल्क का विवरण (मूल रूप में संलग्न किया जाय) — बैंक का नाम

ड्राफ्ट संख्या धनराशि दिनांक

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री इस बात की घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में जो कुछ विवरण मेरे द्वारा दिया गया है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र आदि में कोई भी कथन असत्य पाया गया तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँगा / दी जाऊँगी। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि चयन के बाद मैं नियुक्त हो गया / गयी तो नौकरी से हटा दिया जाऊँगा / दी जाऊँगी एवं मेरे विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान—

दिनांक —

अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पूरा नाम